पत्रांक—कारा/नि॰ग्राला — 08-23/14-4848-

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कारा अधीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक....5.सितम्बर, 2014।

विषयः—काराधीक्षकों की राज्य स्तरीय बैठक का नियमित मासिक रुप से आयोजित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य की काराओं से संबंधित विभिन्न विषयों, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं दैनन्दिन कार्यकलापों आदि की समीक्षा हेतु सभी काराधीक्षकों की राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की जाती है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि यह बैठक नियमित रुप से आयोजित नहीं होने के कारण कारा प्रशासन के कार्यों का अनुश्रवण प्रभावी रुप से होने में कठिनाई हो रही है।

2. कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय के स्तर पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय मासिक बैठकों के आयोजन, कार्यावली का निर्माण, पूर्व बैठकों का अनुपालन प्रतिवेतन एवं अनुश्रवण तथा बैठक की कार्यवाही आदि के ससमय निष्पादन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरीक्षणालय के ज्ञापांक 4833 दिनांक 05.09.2014 द्वारा राज्यस्तरीय बैठक अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014—15 की शेष अवधि हेतु कारा प्रशासन के अन्तर्गत निष्पादित होनेवाले कार्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा प्रभावी ढंग से हो सके और अग्रिम योजना के साथ कार्यों का समयबद्ध निष्पादन हो सके, इस हेतु राज्य स्तरीय बैठकों की तिथि निम्नवत् निर्धारित की जाती है :—

क्र.	राज्यस्तरीय बैठक का माह	बैठक हेतु निर्धारित तिथि	बैठक हेतु निर्धारित समय
1	सितम्बर, 2014	19 सितम्बर, 2014	पूर्वाहन 11:00 बजे से
2	अक्टूबर, 2014	17 अक्टूबर, 2014	पूर्वाहन 11:00 बजे से
3	नवम्बर, 2014	19 नवम्बर, 2014	पूर्वाहन 11:00 बजे से
4	दिसम्बर, 2014	19 दिसम्बर, 2014	पूर्वाहन 11:00 बजे से
5	जनवरी, 2015	16 जनवरी, 2015	पूर्वाहन 11:00 बजे से
6	फरवरी, 2015	18 फरवरी, 2015	पूर्वाहन 11:00 बजे से
7	मार्च, 2015	18 मार्च, 2015	पूर्वाहन 11:00 बजे से

नोटः—बैठक के स्थान के संबंध में प्रत्येक बैठक के पूर्व यथासमय सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।

4. उपरोक्त बैठकों के संदर्भ में निम्नांकित अनुदेश हैं :–

(i) प्रत्येक बैठक हेतु निरीक्षणालय से भेजी जाने वाली कार्यावली टिप्पणी के अनुसार उनमें उल्लिखित **सभी बिन्दुओं पर अलग–अलग शीट पर प्रतिवेदन तैयार** कर (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) बैठक की निर्धारित तिथि के 10 दिन पूर्व वृत्त काराधीक्षक को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। वृत्त काराधीक्षक समेकित एवं संकलित वृत्तवार प्रतिवेदन एक सप्ताह पूर्व मुख्यालय में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) प्रत्येक आयोजित बैठक की परिचारित बैठक की कार्यवाही का अनुपालन/कार्यान्वयन के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) बैठक के 15 दिन पूर्व वृत्त काराधीक्षक को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। वृत्त काराधीक्षक समेकित एवं संकलित वृत्तवार प्रतिवेदन 12 दिन पूर्व मुख्यालय में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी केन्द्रीय वृत्त काराधीक्षक मुख्यालय में प्रतिवेदन भेजे जाने के संबंध में अपने–अपने वृतों की समीक्षा भी कर लेंगे और समेकित एवं वृत्तवार प्रतिवेदन (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. उपरोक्त के आलोक में निदेश है कि आगामी आयोजित होनेवाली राज्यस्तरीय बैठकों में बैठक से संबंधित प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हुए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

5.9.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4848 पटना, दिनांक 05 सितम्बर, 2014।

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

5.9.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4848 पटना, दिनांक 05 सितम्बर, 2014।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5.9.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

आदेश

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय के स्तर पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय मासिक बैठकों के आयोजन, कार्यावली का निर्माण, पूर्व बैठकों का अनुपालन प्रतिवेतन एवं अनुश्रवण तथा बैठक की कार्यवाही आदि के ससमय निष्पादन हेतु निम्नरुपेण राज्यस्तरीय बैठक अनुश्रवण कोषांग का गठन किया जाता है :–

(i) श्री आर. के. चौधरी, काराधीक्षक, अवकाश रक्षित, प्रभारी पदाधिकारी के रुप में वरीय प्रभार में रहेंगे।

(ii) श्री नरेश मोहन झा, प्रशाखा पदाधिकारी, कारा कर्मशाला एवं प्रशिक्षण प्रशाखा, प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी होंगे।

(iii) श्री जय प्रकाश हिमांशु, सहायक, प्रभारी सहायक होंगे।

(iv) श्री अखिलेश कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (बेल्ट्रॉन) बैठक से संबंधित कार्यों को निष्पादित करेंगे।

2. बैठकों के आयोजन उपरोक्त कोषांग को आवश्यक सहयोग Special Task Force-cum-Project Monitoring Unit द्वारा प्रदान किया जायेगा।

3. सभी काराओं से राज्य स्तरीय बैठक के संबंध में पत्राचार प्रभारी पदाधिकारी से किया जायेगा।

4. प्रभारी पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन प्रत्येक माह सुनिश्चित करेंगे। बैठक की कार्यवाही बैठक के तीन दिनों के अंदर परिचारित कर दी जायेगी। अगली बैठक से दो सप्ताह पूर्व पिछली बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन काराओं से प्राप्त किया जाना सुनिश्चत करेंगे। सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी राज्यस्तरीय बैठक के क्रम में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सार्थक सहयोग प्रदान करेंगे।

5. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

ह०/- 5.9.14
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4833 पटना, दिनांक 05 सितम्बर, 2014।
प्रतिलिपिः–मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 5.9.14
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4833 पटना, दिनांक 05 सितम्बर, 2014।
प्रतिलिपिः–काराधीक्षक, सभी केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 5.9.14
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

D:\I.G.Prisons Cell\ORDER\Order-05.09.2014-SLM.doc